संख्याः 1245 ई–1/तेरह–2020–18/17टी.सी.

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र., शासन।

सेवामें,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 07 जुलाई, 2020

विषयः–अनुशासनिक जॉच की कार्यवाही में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु विकल्प के रूप में वीडियो काल का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि अनुशासनिक जॉचों को पूर्ण करने की प्रकिया में अपचारी अधिकारी को सुनवाई, प्रतिपरीक्षण आदि का अवसर देना होता है। इसी प्रकार यथावश्यकता किसी घटना विशेष के परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भिक जॉच के दौरान भी एकाधिक व्यक्तियों के कथन अंकित करने की आवश्यकता पड़ती है।

2. कोविड–19 वैश्विक महामारी की कठिन परिस्थितियों में व्यक्तिगत सम्पर्क से अलग रहना भी बचाव के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत सुनवाई, प्रतिपरीक्षण व कथन अंकित किये जाने आदि के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए Google meet अथवा एंन.आई.सी. द्वारा विकसित Vidyo Portal https://webvc.nic.in पर लॉग इन करके वीडियो काल के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती है। एन.आई.सी. द्वारा मोबाइल ऐप–Intranicvc.nic.in भी विकसित किया गया है। साथ ही WhatsApp Video Call का भी विकल्प उपलब्ध है। उक्त दोनों मोबाइल एप्स का उपयोग भी यथास्थिति किया जा सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि व्यक्तिगत रूप से बुलाकर संबंधित को सुनवाई का अवसर दिये जाने में कोई कठिनाई पायी जाय तो उपरोक्त डिजिटल माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ समस्त संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश अपने स्तर से निर्गत करने तथा तद्विषयक निर्देशों की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

Gen/ga/R